न्यायालय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद उत्तराखण्ड

द्वितीय अपील सं0 8/2008–09

अपीलकर्ता:– श्रीमती गीता रीब पत्नी डॉ0 डोल्फ रीब
निवासी ग्राम कलमटिया स्टेट पट्टी खासपर्जा
तहसील व जिला अल्मोडा।

बनाम

विपक्षी:– उत्तराखण्ड सरकार जरिये कलेक्टर अल्मोडा।

निर्णय

वर्तमान द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 100 जा0दी0 एवं 331 (4) ज0 30 एवं भू0सु0 अधिनियम, न्यायालय अपर आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल के निर्णय व आदेश दिनांक 31–12–2008 ज0उ0 अपील सं0 182(06–07)/22(07–08) श्रीमती गीता रीब बनाम उत्तरांचल सरकार (अब उत्तराखण्ड सरकार) तथा परगना अधिकारी अल्मोडा द्वारा राजस्व वाद सं0 2 सन् 99–2000 श्रीमती गीता रीब बनाम सरकार आदि में पारित निर्णय/आदेश 27–12–2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी का प्रपत्र उक्त अपील में संक्षेप में यह कथन है कि खाता नं0 3 खेत नं0 41, 92, 120 रकबा 125 नाली 15 मुठ्ठी स्थित ग्राम कलमटिया स्टेट, तहसील अल्मोडा बन्दोबस्त के पूर्व व पश्चात संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात माल व काबिज काश्त हैं परन्तु परगनाधिकारी बारामण्डल अल्मोडा द्वारा सरसरी तौर पर अपने आदेश दिनांक 22–07–83 के अंतर्गत वन भूमि घोषित कर दिया तथा अपीलार्थी की उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कागजात माल कर दी गयी जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा वन विभाग का नाम उक्त भूमि की खतौनी से कटवाने तथा अपना नाम पुनः कागजात माल में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कराने की बाबत एक वाद अंतर्गत धारा 229 (बी) उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम के अंतर्गत असिस्टैन्ट प्रथम श्रेणी अल्मोडा के समक्ष दाखिल किया था जिसमें रैस्पौन्डैन्ट/विपक्षी सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। रैस्पौन्डैन्ट/विपक्षी सरकार द्वारा अपने जवाबदावे में कहा गया कि प्रश्नगत भूमि शासन के नोटिफिकेशन के तहत वन भूमि में दर्ज कर दी गयी है लेकिन प्रतिवादी द्वारा ना तो अपने जवाबदावे में नोटिफिकेशन नम्बर, सन् व दिनांक का हवाला दिया गया है और ना ही नोटिफिकेशन की प्रति ही दाखिल की गयी है। दावे व जवाबदावे के आधार पर सात वाद बिन्दू कायम किए गए। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सहित अपने वाद को बखूबी सिद्ध किया, इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट अल्मोडा के समक्ष खसरा सं0 40, 41, 47, 92 तथा 120 के रकबे के सम्बंध में उ0प्र0 सरकार के विरुद्ध निषेधाज्ञा का वाद योजित किया कि उ0प्र0 सरकार को निषिद्ध किया जावे कि वह अपीलार्थी के सहस्वामित्व व अध्यासन वाली सम्पत्ति उपरोक्त में अपीलार्थी के स्वामित्व व अध्यासन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे। माननीय

न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट अल्मोडा द्वारा उपरोक्त वाद गुण अवगुण के आधार पर अपीलार्थी/वादिनी के हक में दिनांक 07.07.1983 को निर्णित किया और उ0प्र0 सरकार को निषिद्ध किया कि वह उपरोक्त सम्पत्ति पर वादिनी के कब्जा दखल में हस्तक्षेप ना करे। इस निर्णय के विरुद्ध उ0प्र0 सरकार द्वारा सिविल जज अल्मोडा के समक्ष दीवानी अपील सं0 31/83 स्टेट ऑफ उ0प्र0 बनाम श्रीमती गीता रीब प्रस्तुत की गयी जिसे अपीलीय न्यायालय ने 24.07.1984 को निरस्त कर दिया, इन दोनों निर्णयों के विरुद्ध राज्य सरकार ने द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं की और यह निर्णय अंतिम हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त विहित प्राधिकारी ने UP Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Act, 1972 के अंतर्गत अपीलार्थी के वादग्रस्त सम्पत्ति से निष्कासन की कार्यवाही की थी जो कि वाद सं0 14 सन् 98–99 राज्य बनाम गीता रीब के रूप में चली थी जिसमें नियत प्राधिकारी ने दिनांक 28.04.1999 को अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किए थे, इस आदेश को अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत माननीय जिला जज अल्मोडा के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जो कि अपील सं0 6 वर्ष 1999 श्रीमती गीता रीब बनाम उ0प्र0 राज्य के रूप में पंजीकृत हुई थी। इस अपील को माननीय जिला जज अल्मोडा ने निर्णय दिनांक 24.10.2000 के द्वारा स्वीकार करते हुए नियत प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.1999 को निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध उ0प्र0 सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस निर्णय में भी अपीलार्थी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर स्वत्व व अध्यासन माना गया तथा यह भी कथन किया कि दीवानी न्यायालय के दोनों निर्णय एवं जिला जज अल्मोडा द्वारा अपील सं0 6 वर्ष 1999 में किए गए निर्णय की प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं परन्तु विचारणीय न्यायालय ने एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दीवानी न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों एवं अपील सं0 6 वर्ष 1999 के निर्णय जो कि अंतिम हो चुके हैं, को ना मान कर अपीलार्थी का वाद निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील में यह आधार भी लिया गया कि परगना अधिकारी बारामण्डल अल्मोडा द्वारा कागजात दुरूस्ती वाद में पारित आदेश संक्षिप्त प्रकृति का आदेश है जिसमें स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता था। स्वत्व का निर्धारण केवल रैगुलर वाद में ही किया जा सकता है लेकिन विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल आदेश दिनांक 22–07–83 को आधार मान कर अपीलार्थी का दावा खारिज कर भूल की है तथा यह विधि मान्य सिद्धांत है कि संक्षिप्त प्रकृति के आदेशों का प्रभाव रैगुलर वादों पर नहीं पडता है लेकिन विचारणीय न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दू पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और विचारणीय न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपना निर्णय व आदेश तथाकथित गजट नोटिफिकेशन पर आधारित किया है लेकिन उक्त तथाकथित नोटिफिकेशन आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा एक पत्र वनाधिकारी अल्मोडा को प्रेषित कर अपील के निस्तारण हेतु गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए गए थे जिन्होने बजाए नोटिफिकेशन पेश करने के वन दारोगा नितिश तिवारी अल्मोडा द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि समय अभाव के कारण

नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो सका है जिसे प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया, लेकिन वन विभाग द्वारा आदेश के बावजूद भी कोई नोटिफिकेशन प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बगैर नोटिफिकेशन प्रस्तुत कराए ही तथाकथित नोटिफिकेशन का अस्तित्व मान लिया और विवादित भूमि पर दीवानी न्यायालयों व जिला जज अल्मोडा के निर्णयों के विपरीत वन विभाग का कब्जा मान लिया जो कि सरासर गलत है इसलिए विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व आदेश व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश निरस्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की कृपा करें।

राज्य सरकार की ओर से विचारणीय न्यायालय में जवाबदावा पेश किया गया जिसमें कहा गया कि वादपत्र के प्रस्तर–7 में वादिनी द्वारा चाहा गया नम्बर (अ),(ब) अस्पष्ट व विधि विरुद्ध होने से स्वीकार नहीं है। वादिनी किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादिनी का वाद सव्यय निरस्त होने योग्य है। वादिनी ने अपने वादपत्र के प्रस्तर–2 में वन विभाग द्वारा उसकी कथित भूमि में हस्तक्षेप करना लिखा है जबकि ग्राम कलमटिया के खाता सं0 3 की वादग्रस्त भूमि उ0प्र0 शासन की अधिसूचना के परिपालन में वर्ष 1982–83 में "वन भूमि घोषित" की जा चुकी है तथा वादग्रस्त सम्पत्ति उ0प्र0 सरकार के स्वामित्व तथा वन विभाग के कब्जे व प्रबंधन में वर्ष 1982–83 से चली आ रही है तथा राजस्व अभिलेखों में भी "वन भूमि" अंकित हो चुकी है। वादिनी का वादग्रस्त भूमि पर हक व कब्जा ना होने से वाद पोषणीय नहीं है। जवाबदावे में यह भी कहा गया कि वादिनी द्वारा वर्णित वादपत्र के अनुसार वन विभाग आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद वादिनी द्वारा जानबूझ कर वन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया। इस कारण आवश्यक पक्षकारों के अभाव में वाद पोषणीय नहीं है तथा जवाबदावे में यह भी कहा गया कि उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना के परिपालन के तहत वादग्रस्त भूमि को वर्ष 1982–83 में वन भूमि घोषित किया जा चुका है, इस अधिसूचना को माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इसलिए भी वादिनी का वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वादग्रस्त भूमि उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में वर्णित "भूमि" की परिभाषा में नहीं आती है इस वजह से ऐसी भूमि से सम्बंधित वाद को माननीय राजस्व न्यायालय को सुनने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा यह भी कहा गया कि वादग्रस्त भूमि को अपने नाम कराने हेतु वादिनी ने कभी कोई नामांकन की कार्यवाही नहीं की इसलिए भी वादिनी का वाद वर्तमान धारा 34 (5) उ0प्र0 भू राजस्व अधिनियम से बाधित होने के कारण माननीय न्यायालय में संग्राह्य नहीं है तथा वादिनी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद वादग्रस्त भूमि को वन भूमि घोषित किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध वादिनी द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त कुमांयू मण्डल नैनीताल के न्यायालय में निगरानी दायर की थी जो कि दिनांक 12–06–1991 को निरस्त कर दी गयी थी। इस प्रकार भूमि को वन भूमि घोषित करने का निर्णय अंतिम हो चुका है तथा इसी के अनुसार राजस्व अभिलेखों में उक्त विवादित भूमि वन भूमि अंकित की जा चुकी है तथा वादिनी के हक में दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश की बिनाह पर राजस्व अभिलेख में नामांतरण निष्पादन की प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता, इसलिए इजराय निरस्त कर दी गयी। वादिनी का

प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज ना होने व कब्जे का कोई आधार ना होने से यह वाद पोषणीय नहीं है तथा वादिनी को कोई वाद का कारण प्राप्त नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा न्यायालय सिविल जज जू0डि0 अल्मोडा द्वारा इजराय में पारित आदेश दिनांक 21–09–96 की प्रति, न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन नैनीताल का निर्णय दिनांक 12–06–91 की प्रति, न्यायालय परगनाधिकारी अल्मोडा का आदेश, तहसील अल्मोडा की रिपोर्ट दिनांक 30–04–82, खतौनी की नकल आदेश अ0क0 बारामण्डल की प्रति, दि0 22–07–83 आदेश प्रस्तुत किए। विचारणीय न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दू विरचित किए :

1. क्या वादिनी वादग्रस्त भूमि की भूमिधर व कब्जेदार है।
2. वादिनी द्वारा वन विभाग व अन्य सहखातेदारें को पक्षकार ना बनाए जाने से प्रभाव।
3. क्या प्रश्नगत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार की परिधि से बाहर है।
4. क्या प्रश्नगत वाद प्राग न्यायालय (रैशजुडिकेटा) मुताबिक जवाबदावा के जवाबदावा के पैरा 14 के प्रभाव। हो तो उसका असर।
5. क्या प्रश्नगत वाद धारा 34/5 उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम से प्रभावित है, यदि हो तो उसका प्रभाव।
6. दीवानी वाद सं0 33/82 के निष्पादन के निरस्त होने का कोई प्रभाव है या नहीं।
7. उ0प्र0 शासन द्वारा विवादित भूमि वर्ष 82–83 में वन भूमि अधिसूचित होने से तथा विवादित भूमि में राज्य सरकार को हक व कब्जा होने से प्रभाव।

वादी द्वारा मुंसिफ मजिस्ट्रेट अल्मोडा द्वारा व्यवहार वाद सं0 33/82 के निर्णय दिनांक 07.07.83 व दीवानी अपील सं0 31/83 के निर्णय दिनांक 24.07.84 तथा जिला जज अल्मोडा द्वारा इविक्शन अपील नं0 6/99 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2000 एवं नकल नोटिस दिनांक 17.12.98 की प्रति पेश की और खसरा खतौनी इत्यादि भी पेश की।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कहा कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी की भूमिधरी भूमि है। अवर न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिए ही राजस्व अभिलेख से उसका नाम निरस्त कर प्रश्नगत भूमि को वन भूमि घोषित किया गया जो कि विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी द्वारा दीवानी न्यायालय में दीवानी वाद दायर किया गया जो कि अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित किया गया जिसके विरुद्ध सरकार द्वारा सिविल जज अल्मोडा के न्यायालय में अपील दायर की गयी जो कि 24–07–84 को निरस्त की गयी तथा इविक्शन अपील सं0 6/99 माननीय जिला जज अल्मोडा द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार की गयी। इन निर्णयों के विरुद्ध

उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गयी और जबकि इन न्यायालयों की Finding Concurrent finding है, के बावजूद भी अपीलार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी पुनः दर्ज नहीं किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा जिस नोटिफिकेशन के आधार पर वन भूमि घोषित होना बताते हैं वह भी विचारणीय न्यायालय अथवा प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी, इस प्रकार अपीलार्थी प्रारम्भ से वादग्रस्त भूमि पर बतौर स्वामी काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा जो नक्शा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया उसमें भी निजि वन दर्शाया है इस प्रकार उ0प्र0 सरकार द्वारा किया जा रहा कथन प्राढ न्यायालय (Principal of Resjudicata) के सिद्धांत से भी बाधित है, परन्तु विचारणीय न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया और अपीलार्थी का वाद एवं अपील निरस्त कर दी गयी।

अतः विचारणीय न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय/आदेश निरस्त होने व वर्तमान द्वितीय अपील सव्यय स्वीकार होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन से विदित होता है कि उ0प्र0 शासन की जिस कथित अधिसूचना (Notification) के आधार पर अपीलार्थी के स्वामित्व व अध्यासन वाली वर्ग 1क की संक्रमणीय भूमिधरी वाली भूमि (वादग्रस्त भूमि) वन भूमि घोषित की गयी और उसके आधार पर वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टी की गयी, वह राज्य सरकार द्वारा ना तो विचारणीय न्यायालय और ना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, इस महत्वपूर्ण तथ्य को विचारणीय न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनदेखा कर आक्षेपित निर्णय/आदेश पारित किए हैं।

परगनाधिकारी अल्मोडा द्वारा निरीक्षण किए जाने से भी यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति पर वन विभाग का अधिपत्य था। अपीलार्थी को दुरुस्ती वाद में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इन बिन्दुओं पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी कोई अन्वेषण नहीं किया और ना ही कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकाला।

विचारणीय न्यायालय ने वाद बिन्दू सं0 1 के अंतर्गत इस सम्बंध में तथ्यों व साक्ष्य के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला है कि, विवादित भूमि कुमायूं जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत नोटिफिकेशन अधिसूचना के तहत राज्य सरकार में निहित हो चुकी है और दुरूस्ती वाद सं0 20/81–82 के द्वारा उक्त भूमि सन् 1983 में राजस्व अभिलेखों में वन भूमि दर्ज हो चुकी है। राजस्व विभाग द्वारा सन् 1983 में विवादित भूमि का समुचित सीमांकन के पश्चात वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया तब से उक्त भूमि वन विभाग के नियंत्रण व कब्जे में चली आ रही है। प्रतिवादी ने इस सम्बंध में डिमारकेशन व नक्शा बनाने वाले तत्कालीन वन सर्वेक्षक को साक्ष्य में पेश किया तथा कब्जे को सिद्ध करने के लिए वन क्षेत्राधिकारी को साक्ष्य में पेश किया, से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वन विभाग के नियंत्रण व कब्जे में है और पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर वादिनी का कब्जा साबित नही है। विचारणीय न्यायालय द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष अंदाजों व सम्भावनाओं पर आधारित है जो कि बिना साक्ष्य के है

तथा जो गवाह विचारणीय न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए वह राज्य सरकार के ही गवाह हैं तथा Interested witnesses हैं ना ही उन्हें कोई कब्जे के बारे में व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है तथा अपीलार्थी द्वारा विचारणीय न्यायालय में वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बंध में जो राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे उसमें उनका नाम वर्ग 1क के संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज चला आ रहा था इसके बावजूद भी गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए वन भूमि घोषित की गयी तथा स्वयं राज्य सरकार द्वारा दाखिल नक्शे में "निजि वन" अंकित होने के बावजूद भी तथा राज्य सरकार की इस सम्बंध में स्वीकृति होने के बावजूद भी गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए वन भूमि घोषित की गयी और सरसरी कार्यवाही के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में वादिनी का नाम विधि विरुद्ध तरीके से काट कर वन विभाग का नाम अंकित कर दिया गया परन्तु विचारणीय न्यायालय ने वाद बिन्दू सं0 1 साक्ष्य व विधि के विरुद्ध जाकर सरकार के पक्ष में निर्णित किया जो कि sustainable नहीं है और यह वाद बिन्दू अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित होने योग्य है और अपीलार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में पूर्व की भांति बतौर स्वामी काबिज अंकित होने योग्य है।

वाद बिन्दू सं0 2 में भी यह निष्कर्ष गलत निकाला गया कि वन विभाग आवश्यक पक्षकार है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि वन भूमि में अंकित हो गयी है व भूमि वन विभाग के कब्जे व नियंत्रण में है जबकि अन्य सहखातेदारों के पक्षकार बनाए जाने से कोई प्रभाव नहीं होता। वादिनी ने जान बूझ कर वन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए वादिनी का यह वाद अबेट माना जाएगा तथा यह वाद बिन्दू भी वादिनी के विरुद्ध निर्णित किया। विचारणीय न्यायालय ने इस वाद बिन्दू को निर्णित करते समय इस कानूनी व तथ्यात्मक बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया कि समस्त कार्यवाही उ0प्र0 सरकार के कथित नोटिफिकेशन के आधार पर की गयी, और इस कारण वन विभाग को पक्षकार बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और निम्न न्यायालय द्वारा किस कारण से वाद को अबेट माना गया, के बारे में भी कोई उचित व पर्याप्त निष्कर्ष नहीं निकाला गया, इस प्रकार विचारणीय न्यायालय द्वारा इस वाद बिन्दू को भी विधि विरुद्ध निर्णित किया जो कि वादिनी के पक्ष में निर्णित होना चाहिए था। अतः इस वाद बिन्दू पर निकाला गया निष्कर्ष निरस्त होने योग्य है।

विचारणीय न्यायालय ने वाद बिन्दू सं0 4 पर यह निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि प्रश्नगत भूमि वन भूमि घोषित हुई उस फैसले के खिलाफ वादिनी ने श्रीमान अपर आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल के न्यायालय में रिविजन की थी जिसका निर्णय दिनांक 12.06.91 को हो चुका है इस फैसले के विरुद्ध कोई रिट अपील नहीं हुई इस कारण राजस्व न्यायालय का निर्णय अंतिम हो चुका है, इसके अतिरिक्त इस न्यायालय ने वर्ष 1983 में विवादित भूमि के सम्बंध में गल्ती–दुरूस्ती वाद सं0 20/81–82 चला था जिस पर निर्णय हो चुका है। बार बार उन्हीं बिन्दुओं पर वाद दायर किया जाना सी0पी0सी0 के तहत रैसजुडिकेटा से बाधित है। अब वादिनी माननीय न्यायालय अपर आयुक्त नैनीताल के निर्णय से बाध्य है। विचारणीय न्यायालय ने रैसजुडिकेटा का सिद्धांत लागू कर विधि में त्रुटि की है क्योंकि लैण्ड रैवेन्यू एक्ट की धारा 33, 39 संक्षिप्त सरसरी कार्यवाही है तथा स्वतत्व का निर्धारण रैगुलर वाद से ही हो सकता है। रैगुलर वाद पर सरसरी कार्यवाही के अंतर्गत पारित आदेश/निर्णय का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। चूंकि वर्तमान द्वितीय

अपील रैगुलर वाद से उत्पन्न है और सरसरी कार्यवाही के अंतर्गत केवल छोटी मोटी गल्तियां ही दुरूस्त की जा सकती है और स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है इसलिए दुरूस्ती की कार्यवाही एवं न्यायालय अपर आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल के निर्णय का कोई प्रभाव रैगुलर वाद के निर्णय पर नहीं होगा इसलिए इस वाद बिन्दू पर निकाला गया निष्कर्ष विधि एवं कानून के विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। इसके विपरीत अपीलार्थी के पक्ष में दीवानी न्यायालय के निर्णय एवं इविक्शन अपील सं0 6/99 में पारित निर्णय जो कि concurrent finding पर आधारित है जिनकों उ0प्र0 सरकार द्वारा सक्षम न्यायालयों में कोई चुनौती नहीं दी गयी जिसमें अपीलार्थी का स्वत्व व अध्यासन माना गया इसलिए राज्य सरकार पर ही रैसजुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। इसी प्रकार वाद बिन्दू सं0 5, 6 व 7 पर भी विचारणीय न्यायालय द्वारा कानून व विधि के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला गया तथा विचारणीय न्यायालय द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किए बिना विधि, कानून व उपलब्ध साक्ष्यों को अनदेखा कर निर्णय पारित किया गया, जो कि विधि की दृष्टि में पारित नहीं किया जा सकता था और अपीलार्थी का वाद सव्यय अज्ञप्त होने योग्य था।

राज्य सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा कभी भी अपीलार्थी को किसी विधिक कार्यवाही के अंतर्गत प्रश्नगत सम्पत्ति से बेदखल नही किया गया और ना ही कब्जा प्राप्त किया गया और ना ही वन भूमि घोषित करने का कोई नोटिफिकेशन अवर न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, मात्र कह देने से वन भूमि घोषित होनी नहीं मानी जा सकती और उसी क्रम में राजस्व अभिलेखों में जो इन्द्राज किए गए वह भी विधि विरुद्ध है तथा अपीलार्थी के स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अवर न्यायालय में दाखिल नक्शे में निजि भूमि होना स्वीकार करना तथा दीवानी न्यायालय एवं जिला जज द्वारा पारित निर्णय को अनदेखा करना विधि विरुद्ध है।

प्रथग अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–12–2008 बिना किसी निष्कर्ष के है तथा ऐसी अधिसूचना जो कि अस्तित्व में नहीं थी और ना ही प्रस्तुत की गयी, के आधार पर ही अपीलार्थी की प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गयी जबकि अन्य महत्वपूर्ण बिन्दू विचार में नहीं लिए गए और ना ही उन पर कोई निष्कर्ष निकाला गया इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं साक्ष्य के विरुद्ध पारित किया गया इसलिए यह निर्णय भी निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा समस्त दस्तावेजों के समयक अवलोकन करने एवं विधि व साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय परगनाधिकारी अल्मोडा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांक 27–12–2002 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल द्वारा प्रथम अपील सं0 182(2006–07)/22(2007–08) में पारित निर्णय 31–12–2008 निरस्त होने व द्वितीय अपील स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

तदानुसार विचारणीय न्यायालय परगनाधिकारी अल्मोडा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांक 27–12–2002 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल द्वारा प्रथम अपील सं0 182(2006–07)/22(2007–08) में पारित निर्णय 31–12–2008 निरस्त किया जाता है तथा यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है, परिणाम स्वरूप अपीलार्थी का वाद अंतर्गत धारा 229बी उ0प्र0 (उत्तराखण्ड) जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम अपीलार्थी के हक में अज्ञप्त किया जाता है जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी के नाम वर्ग 1क के संक्रमणीय भूमिधर के रूप में पुनः अविलम्ब दर्ज की जावे तत्पश्चात पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–03–2015 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 30–03–2015

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड

30/3/15